FORM NO -III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सीतादेवी पत्नी स्व0 हरिराम जाति जाट उम्र 75 वर्ष 2. हुक्मीराम पुत्र हरीराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासीगण घटेलों की ढाणी डांगावास तहसील मेड़ता जिला नागौर		राजस्थान राज्य तहसीलदार मेड़ता

किस्म मुकदमा विविध प्रार्थना पत्र संख्या 49 / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30.12.19	वकील श्री धर्माराम खुड़खुड़िया ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 56ए के तहत प्रार्थना प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व अपील संख्या 45/2019 बअनवान सीतादेवी वगैरा बनाम राजस्थान राज्य तहसीलदार मेड़ता प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2019 के विरूद्ध संभागीय आयुक्त एवं भू अभिलेख कमिश्नर महोदय अजमेर के न्यायालय में धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तैयार शुदा अपील मीमो, प्रार्थना पत्र वास्ते स्थगन आदेश मय शपथ पत्र, निर्णय दिनांक 17.10.2019 की प्रमाणित प्रति प्रार्थीगण की ओर से श्री नरपत भाकल एडवोकेट का वकालतनामा एवं फर्द तलवाना मय नकलों के पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 56ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पर वकील श्री धर्माराम खुड़खुडिया को सुना गया। वकील श्री धर्माराम खुड़खुडिया ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 56ए के प्रावधान के अन्तर्गत उक्त अपील सुनवाई हेतु संभागीय आयुक्त अजमेर/राजस्व अपील अधिकारी नागौर को धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकिया अपनाई जाकर अपील न्यायालय को सुनवाई हेतु भेजने का निवेदन किया। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के नोटिफिकेशन संख्या–1(17)Rev-6/2019/112 Dated-17-10-2019 के अनुसार धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कलक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के तहत वकील श्री धर्माराम चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत अपील संभागीय आयुक्त महोदय के सक्षम ही प्रस्तुत की जा सकती है, जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 56ए के प्रावधान के तहत ऐसी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को भेजने का प्रावधान है। संभागीय आयुक्त महोदय को भेजने का प्रावधान नहीं है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के उक्त नोटिफिकेशन दिनांक 17.10.20190 में वकील श्री धर्माराराम द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील संभागीय आयुक्त महोदय के सक्षम प्रस्तुत करने का स्पष्ट प्रावधान होने से उक्त अपील संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। वकील श्री धर्माराम चौधरी ने उक्त अपील संभागीय आयुक्त महोदय को पेश नहीं करने की ऐसी कौनसी विषम परिस्थिति उनके समक्ष रही है, के संबंध में ठोस आधार भी अपने आवेदन में व्यक्त नहीं किया है। अतः वकील श्री धर्माराम चौधरी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 56ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त अपील मीमो, प्रार्थना पत्र वास्ते स्थगन आदेश मय शपथ पत्र, निर्णय दिनांक 17.10.2019 की प्रमाणित प्रति प्रार्थीगण की ओर से श्री नरपत भाकल एडवोकेट का वकालतनामा एवं फर्द तलवाना मय नकलों के वकील श्री धर्माराम चौधरी को लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर नागौर कलक्टर, नागौर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.01.22 17:59:49 IST
Reason: SelfAttested